राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
व्यापार एवं कर विभाग,
(नीति शाखा)
व्यापार भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110002

विधान सभा प्रश्न संख्या 111 (अतारांकित)

दिनांक –20–03–2018

प्रश्नकर्ता : श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जीएसटी सुचारू पूर्वक कियान्वित हो गया है;	जी हॉ ।
ख)	क्या यह सत्य है कि व्यापारियों को इसमें अभी भी कुछ कठिनाईयां आ रहीं है;	जी हॉ ।
ग)	यदि हॉ, तो दिल्ली सरकार इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए क्या उपाय कर रही है;	1. जीएसटी में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यापार एवं कर विभाग में फेसिलिटेशन सेंटर तथा हेल्प–डेस्क खोला गया है । फेसिलिटेशन सेंटर व्यापारियों की जीएसटी एक्ट तथा रूल को समझने में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करता है तथा हेल्प–डेस्क में व्यापारियों को आने वाली तकनीकी कठिनाइयों जैसे पासवर्ड आई डी मिसमेच, रिटर्न फाइल न हो पाना इत्यादि का निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है । 2. प्रशासनिक समस्याओं का विभाग में यथासंभव समाधान किया जाता है तथा तकनीकी कठिनाइयों को जीएसटीएन में भेजकर उनका निवारण करने का प्रयत्न किया जाता है । 3. विभाग द्वारा मार्किट स्तर पर जीएसटी सपोर्ट कमेटियॉं बनाई गयीं हैं जिनके द्वारा भी व्यापारियों की समस्याओं को समझने एवं समाधान करने का प्रयास किया जाता है । 4. दिल्ली सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री/वित्त मंत्री विभिन्न जीएसटी काउन्सिल की बैठकों में व्यापारियों की समस्याओं को रखते हैं एवं कॉउन्सिल द्वारा उनके समाधान ढूंढ़ने का प्रयास किया जाता है ।
घ)	क्या जीएसटी लागू होने के बाद दिल्ली सरकार के राजस्व में वृद्वि हुई है;	इसकी अधिकारिक एवं तथ्यात्मक संकलित जानकारी वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के बाद ही दी जा सकती है।
ड)	सरकार का जीएसटी को लेकर पडने वाले प्रभाव का क्या आकलन है; और	जीएसटी एक एकीकृत कर संरचना है । इसके प्रभाव का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर किये जाने की आवश्यकता है।
च)	क्या इससे सरकार के राजस्व में वृद्वि होगी?	अभी इसका आकलन लगाना मुश्किल है।

Commissioner, VAT/GST
Deptt. of Trade & Taxes
Govt. of N.C.T. of Delhi
Vyapar Bhawan, IP Estate
New Delhi-110002

Scanned by CamScanner